कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जिला ग्वालियर (म.प्र.)

ग्वालियर, दिनांक ....

!! आदेश !!

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./10–क/4/निर्वा.व्यय/2026/3830 दिनांक 07.07.2026 के क्रम में **दतिया विधानसभा–22 उप निर्वाचन 2026** हेतु **मतदान दिनांक 30.07.2026 (गुरूवार)** को सम्पन्न होना है।

मध्यप्रदेश शासन वाणिज्यिक कर विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक/4/4/1/0001/2026-Sec-2-05(CT) भोपाल, दिनांक 09 जुलाई 2026 एवं कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला दतिया (म.प्र.) के पत्र क्रमांक/आब./ठेका/2026/1301 दिनांक 18.07.2026 के अनुक्रम में दतिया विधानसभा–22 उप निर्वाचन 2026 के सफल एवं निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न कराये जाने हेतु मदिरा के अवैध क्रय–विक्रय, परिवहन, विनिर्माण, चौर्यनयन आदि पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु जिला दतिया की दतिया विधानसभा–22 क्षेत्रांतर्गत एवं दतिया विधानसभा क्षेत्र से लगे 03 कि.मी. सीमावर्ती क्षेत्रों में मतदान समाप्ति हेतु निर्धारित समय से 48 घण्टे पूर्व से मदिरा दुकानें बन्द रखा जाना उल्लेखित किया गया है।

अतः मैं रूचिका चौहान, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ग्वालियर, मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा (1) एवं मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 45 दिनांक 20 फरवरी 2026 में प्रकाशित आबकारी नीति वर्ष 2026–27 की कंडिका 47.2 से प्राप्त शक्तियों के अधीन **दतिया विधानसभा–22 उप निर्वाचन 2026** हेतु उक्त विधानसभा क्षेत्र से लगे 03 किलोमीटर ग्वालियर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र अन्तर्गत स्थित शराब की सभी दुकानें/अन्य अनुज्ञप्ति मदिरा केन्द्र, मतदान की समाप्ति के लिये नियत समय से 48 घण्टे पूर्व **अर्थात् दिनांक 28.07.2026 को सायंकाल 06:00 बजे से दिनांक 30.07.2026 को मतदान समाप्ति तक** बन्द रखा जाकर शुष्क दिवस घोषित करती हूँ।

उक्त अवधि में मदिरा का क्रय–विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा एवं अवैध शराब के उत्पादन, परिवहन एवं विक्रय को कड़ाई से प्रतिबंधित किया जावे।

Digitally signed by
RUCHIKA CHAUHAN
Date: 28-07-2026
12:45:39

संलग्न : उपरोक्तानुसार

(रुचिका चौहान)
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जिला–ग्वालियर

पृष्ठांकन क्रमांक/आब./ठेका/2026/ ग्वालियर, दिनांक ....

प्रतिलिपि :–

1– मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल की ओर सूचनार्थ।

2– प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।

3– सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल की ओर सूचनार्थ।

4– आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।

5– पुलिस अधीक्षक, जिला–ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

6– अपर आबकारी आयुक्त, राज्य स्तरीय उड़नदस्ता, भोपाल की ओर सूचनार्थ।

7– उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।

8— संयुक्त संचालक, सूचना एवं प्रकाशन जिला—ग्वालियर की ओर 10 प्रतियां भेजते हुए स्थानीय समाचार पत्रों में समाचार के रूप में प्रकाशनार्थ।

9— अनुविभागीय दण्डाधिकारी (राजस्व) ग्वालियर ग्रामीण/डबरा/भितरवार की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

10— अनुविभागीय अधिकारी पुलिस/नगर पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण/डबरा/भितरवार जिला—ग्वालियर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

11— प्रभारी अधिकारी, मेसर्स बापुना एल्कोब्रू प्रा.लि. रायरू/मेसर्स विनायक डिस्टलरीज प्रा.लि. महाराजपुरा इण्डस्ट्रीयल एरिया, ग्वालियर/मेसर्स विनोविया स्प्रिट्स एल.एल.पी. एफ.एल.—10ए, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

12— रिटर्निंग ऑफिसर/सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, जिला—ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।

13— थाना प्रभारी, पुलिस थाना .... की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

14— सहायक जिला आबकारी अधिकारी/आबकारी उपनिरीक्षक, ग्वालियर नगर वृत्त क्रमांक—1, 2, 3, 4, 5, 6, आंतरिक क्षेत्र, डबरा एवं भितरवार, जिला—ग्वालियर की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

15— मद्यभाण्डागार अधिकारी, ग्वालियर एवं डबरा की ओर सूचनार्थ।

16— शासकीय विदेशी मदिरा भाण्डागार, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।

17— सम्बन्धित अनुज्ञप्तिधारी .... जिला—ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।

(उपरोक्तानुसार ई—साईन)
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जिला—ग्वालियर